न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 241 / 2025

अनवान : –

1. बंशीलाल पुत्र गणपत जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामजस पुत्र ईशर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
   1/1. लिखमीचन्द 1/2. दलीप कुमार पुत्रगण रामजस जाति जाट निवासी चे देईदासपुरा तहसील नोहर।
   2/1. जगदीश चौधरी पुत्र जोतराम 2/2. मदनलाल पुत्र जोतराम 2/3. सुभाष पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. घीसाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. नरसिंह पुत्र पूर्ण जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
5. राधाकृष्ण पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 99/94 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्तक के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/1[illegible] के [illegible]न0 210/1/2 की 1.7535 हैक्ट भूमि मध्य पासा पूर्व से पश्चिम की [illegible] स0 5 के नाम रहेगी एवं ख0न0 210/1/1 की 2.133 हैक्ट भूमि उत्तरी पासा [illegible] से पश्चिम बहिब [illegible]दी स0 1/1 लिखमीचन्द व प्रतिवादी स0 1/2 दलीप कुमार के नाम रहेगी एवं ख0न0 210/1/3 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1.7535 हैक्ट के दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम मुश्तरका दर्ज रहेगी जिसमें से से प्रतिवादीगण संख्या 2/1 ता 2/3 तीनों बहिब बराबर 1/3 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे। इसी आशय का वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम सभी पक्षकार पूर्णतया सहमत है किसी को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो किसी भी पक्षकार को कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि वाद भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 के ख0न0 210/1/2 की 1.7535 हैक्ट भूमि मध्य पासा पूर्व से पश्चिम की बहिब वादी व प्रतिवादी स0 5 के नाम रहेगी एवं ख0न0 210/1/1 की 2.133 हैक्ट भूमि उत्तरी पासा पूर्व से पश्चिम बहिब प्रतिवादी स0 1/1 लिखमीचन्द व प्रतिवादी स0 1/2 दलीप कुमार के नाम रहेगी एवं ख0न0 210/1/3 की 1.7535 हैक्ट के दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम मुश्तरका दर्ज रहेगी जिसमें से से प्रतिवादीगण संख्या 2/1 ता 2/3 तीनों बहिब बराबर 1/3 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे। इसी आशय का वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम सभी पक्षकार पूर्णतया सहमत है किसी को कोई ऐतराज नही है। [illegible] वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि का निम्नानुसार पक्षकरान के नाम दर्ज हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

1. वादी व प्रतिवादी संख्या 5 – रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 के ख0न0 210/1/2 की 1.7535 हैक्ट भूमि मध्य पासा पूर्व से पश्चिम बहिब
2. प्रतिवादी संख्या (1/1) लिखमीचन्द (1/2) दलीप कुमार पुत्रगण रामजस – रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 के ख0न0 210/1/1 की 2.133 हैक्ट उत्तरी पासा पूर्व से पश्चिम बहिब
3. प्रतिवादी स0 (2/1) जगदीश चौधरी पुत्र जोतराम (2/2) मदनलाल पुत्र जोतराम (2/3) सुभाषचन्द्र पुत्र जोतराम तथा प्रतिवादी स0 3 व 4 – रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 के ख0न0 210/1/3 की 1.7535 हैक्ट भूमि के दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम जिसमें प्रतिवादी स0 2/1 ता 2/3 तीनो बहिब 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 11/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 241/2025

अनवान : –

1. बंशीलाल पुत्र गणपत जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामजस पुत्र ईशर जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
1/1. लिखमीचन्द 1/2. दलीप कुमार पुत्रगण रामजस जाति जाट निवासी चे देईदासपुरा तहसील नोहर।
2/1. जगदीश चौधरी पुत्र जोतराम 2/2. मदनलाल पुत्र जोतराम 2/3. सुभाष पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. घीसाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. नरसिंह पुत्र पूर्ण जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
5. राधाकृष्ण पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 241 सन 2025 निर्णय दिनांक 11/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि का निम्नानुसार पक्षकरान के नाम दर्ज हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

1. वादी व प्रतिवादी संख्या 5 – रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 के ख0न0 210/1/2 की 1.7535 हैक्ट भूमि मध्य पासा पूर्व से पश्चिम बहिब
2. प्रतिवादी संख्या (1/1) लिखमीचन्द (1/2) दलीप कुमार पुत्रगण रामजस – रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 के ख0न0 210/1/1 की 2.133 हैक्ट उत्तरी पासा पूर्व से पश्चिम बहिब
3. प्रतिवादी स0 (2/1) जगदीश चौधरी पुत्र जोतराम (2/2) मदनलाल पुत्र जोतराम (2/3) सुभाषचन्द्र पुत्र जोतराम तथा प्रतिवादी स0 3 व 4 – रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 126/162 के ख0न0 210/1/3 की 1.7535 हैक्ट भूमि के दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम जिसमें प्रतिवादी स0 2/1 ता 2/3 तीनो बहिब 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/07/2025 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर